

लेखाशाखा
नगर पालिक निगम
भिलाई

लेखाधिकारी – श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर

सहायक लेखाधिकारी – श्री आर.के.सोनी

निकाय निधि

स्वयं का
राजस्व

अनिवार्य
निधि

संचित
निधि

अनिवार्य निधि



नोट :- अनिवार्य निधि राशि का उपयोग केवल कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जा सकता है ।

लेखाशाखा नगर पालिक निगम भिलाई

योजना •

केंद्र प्रवर्तित
योजना

राज्य प्रवर्तित
योजना

केंद्र प्रायोजित योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

15वे वित्त

अमृत मिशन

Day NULM

स्वच्छ भारत मिशन

राज्य प्रायोजित योजना

अधोसंरचना

खनिज न्यास मद

गौठान योजना

पौनी पसारी
योजना

सरोवर धरोहर
योजना

पार्षद
निधि/महापौर
निधि/विधायक

बजट आबंटन

सक्षम प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति



लेखाशाखा द्वारा बजट आबंटन



सम्बंधित जोन/विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण कार्यवाही



क्रय समिति/निविदा समिति में न्यूनतम दर की स्वीकृति की अनुशंसा



अंतिम एवं वित्तीय स्वीकृति(आयुक्त महोदय/ऍम.आई.सी./जी.ऍम.सी. द्वारा)



कार्यादेश



महापौर निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

- शासकीय शालायो में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर क्रय
- पाइपलाइन विस्तार
- नवीन सीमेंट कंक्रीट मार्ग नाली सहित निर्माण
- सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओ की व्यवस्था
- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से विद्युत खम्बा एवं विद्युत लाइन विस्तार तथा विद्युत खम्बे एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य
- वार्ड में उपयुक्त स्थान मिलने पर स्कूली बच्चो एवं नागरिको के लिए बस स्टाप का निर्माण

महापौर निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

- जिम सामग्री क्रय
(जिम का संचालन एवं संधारण स्थानीय युवकों के समिति के माध्यम से निर्धारित शुल्क वसूली करने की शर्त पर)
- शासकीय स्कूल एवं अनुदान प्राप्त शालाओ के उद्यान एवं सार्वजनिक उद्यानों में खेल-कूद हेतु फिसलपट्टी, बेंच कुर्सी क्रय करने हेतु
- मुक्तिधाम का उन्नयन कार्य
- छोटे उद्यानों का निर्माण
- मूत्रालय का निर्माण

पार्षद निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

- शासकीय शालायो में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर क्रय
- पाइपलाइन विस्तार
- नवीन सीमेंट कंक्रीट मार्ग नाली सहित निर्माण
- सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओ की व्यवस्था
- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से विद्युत खम्बा एवं विद्युत लाइन विस्तार तथा विद्युत खम्बे एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य
- वार्ड में उपयुक्त स्थान मिलने पर स्कूली बच्चो एवं नागरिको के लिए बस स्टाप का निर्माण
- जिम सामग्री क्रय
(जिम का संचालन एवं संधारण स्थानीय युवकों के समिति के माध्यम से निर्धारित शुल्क वसूली करने की शर्त पर)

पार्षद निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

- शासकीय स्कूल एवं अनुदान प्राप्त शालाओ के उद्यान एवं सार्वजनिक उद्यानों में खेल-कूद हेतु फिसलपट्टी, बेंच कुर्सी क्रय करने हेतु
- डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन हेतु ऑटो रिक्शा क्रय/डस्टबिन क्रय
- मुक्तिधाम का उन्नयन कार्य
- छोटे उद्यान का निर्माण
- मूत्रालय का निर्माण

मुलभुत सुविधा के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

- संधारण/मरम्मत के कार्यों की सूची में सड़क मरम्मत, पुल-पुलिया मरम्मत, सड़क पैच-वर्क, नाली मरम्मत, उद्यान संधारण, प्रकाश व्यवस्था संधारण, पेयजल वाहिनी मरम्मत एवं निकायों के स्वामित्व वाले भवन जैसे- सामुदायिक भवन, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, आदि उक्त भवनों को संधारण/मरम्मत/पोताई कार्य तथा मरम्मत कार्य हेतु प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत वाहन मरम्मत कार्य
- इस मद की राशि का किसी एक कार्य में उपयोग करने हेतु अधिकतम लागत सीना इस प्रकार होगी : -
 - (क) नगरपालिक निगम – 3 लाख से अधिक जनसंख्या – 4 लाख रूपए तक

मुलभुत सुविधा के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य

इस मद की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल-डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा

- इस मद की राशि का उपयोग केवल संधारण, मरम्मत व्यय में ही किया जा सकेगा। मरम्मत सामग्री को छोड़कर नई सामग्री फिटिंग आदि के लिए व्यय नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को दी जाने वाली इस मद में सहायता राशि का चार सामान किशतों में जारी किया जायेगा । प्रथम किस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर द्वितीय किस्त की राशि जारी किया जायेगा ।
- निकाय को दी जाने वाली अनुदान राशि का पृथक से बैंक खाता खोलकर संधारण किया जायेगा ।
- इस मद में मरम्मत/संधारण वाली अपनी समस्त संपत्तियों की सूची बद्ध करके संचालनालय में प्रेषित करेंगे ।

धन्यवाद